कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 934 /15–1 दिनांक, झांसी, सितम्बर 26 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200 MM Dia कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के किमी0 सं0 86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 44 के किमी0 सं0 6.50 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–449/11सी/FP/UP/Pipeline/143751/2021, दि0 04.08.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 05 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति पत्रावली सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण/अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, आपत्तियॉ का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 31 एवं 33 पर संलग्न संयुक्त जांच रिपोर्ट में क्रमशः 0.15 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि एवं 0.342 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.492 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रभावित गैर वनभूमि (गैर संरक्षित वनभूमि) को शून्य दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण एवं विरोधाभाष है। अतः सही सूचना संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट–1 में फीड करें ।	संयुक्त जांच रिपोर्ट में पृष्ठ सं0 31 एवं 33 में प्रभावित गैर संरक्षित वनभूमि के क्षेत्रफल क्रमशः 0.15 हे0 एवं 0.342 हे0 को काट कर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में *"परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है"* का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है का प्रमाण पत्र संलग्न है।

3	प्रस्ताव में संलग्न एन0एच0ए0आई0 के एन0ओ0सी0 में कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन मार्ग के दोनो पटरियों दायी एवं बांयी तरफ बिछाये जाने का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट–1 एवं प्रस्ताव में संलग्न अन्य अभिलेखों में कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन मार्ग के केवल बांयी तरफ ही बिछाये जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः स्थिति स्पष्ट कर सही अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें ।	परियोजना में संलग्न एन0एच0ए0आई0 के एन0ओ0सी0 के अनुसार पार्ट–1 एवं संलग्न अन्य अभिलेख संशोधित कर संलग्न है।
4	परियोजना में 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC, दिनांक 27.07.2020 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।	परियोजना में 0.576 . हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण से छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC, दिनांक 27.07.2020 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

संलग्नक :– प्रस्ताव की 04 प्रतियॉ मूल में ।

भवदीय

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

<u>पृष्ठांकन संख्या 934 /अ/समदिनांक</u>

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी